

न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज हुकम गाइनेस क्रिटिक v/s NPT (SOUTH) Jodhpur</p>	<p>2022/59 नाम अह हुकम में</p>
-----------------------	--	--

21/8
24

पत्रावली पैसा डडी प्राचीपक्ष
के अधिवक्ता अनुपस्थित व अप्राचीपक्ष
के अधिवक्ता अनुपस्थित। चूंकि
राजस्थान नगर पत्रिका अधिनियम
2009 की धारा 12 में राजस्थान
नगर पत्रिका (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम
2014 द्वारा संशोधन किया गया व
निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त
शासन विभाग, राजस्थान सरकार के
पत्रांक पं. 8(ग)(1) / नियम / डी. एल. की. / 11
21167 - 21200 जोधपुर दिनांक 14/6/14
के तहत अपील प्रावधान नगर निगम
के माध्यम में आयुक्त, नगर निगम को
किया गया है। अतः प्रस्तुत अपील
आयुक्त, नगर निगम जोधपुर (पश्चिम)
को स्थानान्तरित की जाती है। पक्षकार
वहां 21/8/24 को उपस्थित रहे।

जिला कलक्टर, जोधपुर (सच. 1)